न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 87/2019 प्रार्थना पत्र
श्री सुजानसिंह पिता नाथूलाल महाजन, उम्र बालिग निवासी 21–संचेती कॉलोनी, काशीपुरी–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———–विपक्षी

———

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः–

1–श्री मुकेश जैन,	–	एडवोकेट–प्रार्थी
2–नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा	–	एडवोकेट–पेरोकार सरकार

:: नि र्ण य :: दिनांकः– 18.10.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129–131–136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मालोला पटवार हल्का मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 781/2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित हैं। प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त भूमि की दिनांक 27.5.2018 को पटवार हल्का के पास गया तो पटवार हल्का द्वारा बताया गया कि उक्त आराजी का रकबा राजस्व रेकार्ड मे 4 बीघा 5 बिस्वा दर्ज है लेकिन नक्शें में कम तरमीम हैं। इस पर प्रार्थी ने विपक्षी के समक्ष कई बार उपस्थित होकर राजस्व नक्शें में कम तरमीम को 4 बीघा 5 बिस्वा के रकबे अनुसार तरमीम करने निवेदन किया । लेकिन विपक्षी बार–बार टालमटोल करते चले आ रहे हैं। व दिनांक 30.1.2019 को विपक्षी द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी। इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने की नौबत पेश आयी हैं। प्रार्थी की राजस्व नक्शें में जो भूमि तरमीम है वो 4 बीघा 5 बिस्वा नहीं होकर कम है जबकि प्रार्थी का मौके पर 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर पूरा कब्जा हैं। प्रार्थी राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 781/2 के नक्शें में कम तरमीम रकबे को 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि के रूप में तरमीम कराने के अधिकारी हैं। प्रार्थी मौके पर 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर ही काबिज होकर खातेदार काश्तकार हैं। राजस्व नक्शें में प्रार्थी आराजी नम्बर 781/2 के नक्शें में कम तरमीम रकबे को 4 बीघा 5 बिस्वा के रूप तरमीम कराया जाने की प्रार्थना करता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र. स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मालोला पटवार हल्का मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 781/2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि के नक्शें में कम तरमीम रकबे को रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा के रूप में तरमीम कीजाने का आदेश प्रदान फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

किन्तु तरमीम करते समय कब्जे व राजस्व रेकार्ड के अनुसार तरमीम नहीं की गयी । इस कारण प्रार्थी खाते व राजस्व रेकार्ड में अंकित रकबे के अनुसार तरमीम चाहते हैं। लेकिन विपक्षी पेरोकार सरकार ने भी प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व रेकार्ड में अंकित रकबे व कब्जे के अनुसार नक्शें में तरमीम की जाती है तो आपत्ति नहीं होना प्रकट किया हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129–131–136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मालोला पटवार हल्का मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 781/2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकित रकबा व कब्जे के अनुसार नक्शें में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उसी अनुसार नक्शें में तरमीम की जावे।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 18.10.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner